भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली

17 दिसंबर, 2024

प्रत्यक्ष कर पर 2024 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 09 संसद में प्रस्तुत

"आसवनी और यवासवनी" के व्यवसाय में लगी हुई कंपनियों की आयकर विभाग द्वारा किए गए निर्धारणों की जाँच पर अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर प्रेस विज्ञप्ति

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) ने आयकर विभाग द्वारा 'आसवनी और यवासवनी' के कारोबार में काम करने वाली कंपनियों के निर्धारण की जांच' पर एक अनुपालन लेखापरीक्षा की। लेखापरीक्षा दिसंबर 2022 तक किया गया था। प्रतिवेदन 17 दिसंबर 2024 को संसद के पटल पर रखी गई।

अनुपालन लेखा परीक्षा में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और नई दिल्ली राज्यों में आईटीडी क्षेत्राधिकार के भीतर आने वाली ग्यारह आसवनी/यवासवनी का आकलन शामिल था, जिनके आईटीआर को आयकर विभाग (आईटीडी) प्रणालियों के माध्यम से संसाधित/पूरा किया गया था, जिसमें निर्धारण वर्ष 2009-10 से 2018-19 तक की दस वर्ष की अविध शामिल थी।

लेखापरीक्षा निष्कर्षों का सारांश नीचे दिए गए है:

- लेखापरीक्षा ने अन्य पार्टियों के साथ समझौते की आड़ में बिक्री का कम लेखांकन देखा जिसका कर प्रभाव ₹4,439.11 करोड़ था जिसमें तीन कंपनियों ने आईटी अधिनियम, 1961 की धारा 44एबी के अन्तर्गत इनसे सम्बंधित लेनदेनों का लेखापरीक्षा नहीं कराया और साथ ही व्यवसाय की आय को "व्यवसाय या पेशे से लाभ और मुनाफे" शीर्षक के अन्तर्गत घोषित नहीं किया था। समझौते की आड़ में मदिरा/बीयर की बिक्री से प्राप्त आय को कर में शामिल नहीं किए जाने की संभावना अधिक थी, और कर से बचने के जोखिम से इंकार नहीं किया जा सकता था।
- लेखापरीक्षा ने देखा कि आयकर विभाग (आईटीडी) में उपलब्ध सूचना का निर्धारण इकाइयों
 द्वारा प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, निर्धारण अधिकारी द्वारा
 निर्धारितियों से प्राप्त विवरण का मिलान नहीं किया गया। इसमें ₹12,781.22 करोड़

रुपये का कर प्रभाव शामिल था। दस निर्धारिती कंपनियों में निर्धारिति के साथ अंतः-विभागीय, अंतर्विभागीय समन्वय और सामंजस्य का अभाव था, जिसमें निर्धारण अधिकारी सूचना मांगने की शिक्त का प्रयोग नहीं किये, जैसा कि आयकर अधिनियम की धारा 133(6) में परिकल्पित है, जो अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी जांच या कार्यवाही के लिए उपयोगी या प्रासंगिक होता।

- लेखापरीक्षा ने देखा कि विभागीय प्रणाली उन मामलों की पहचान नहीं कर सकी जहां अंकगणितीय अंतर था, जैसा कि फॉर्म 3सीडी में तैयार उत्पाद के मात्रात्मक सार में लेखाकार द्वारा दर्शाया और प्रमाणित किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप चार निर्धारिती कंपनियों, तैयार उत्पाद के मात्रात्मक सार के संबंध में लेखाकार द्वारा गलत वर्णन और प्रमाणीकरण हुआ जिसमें ₹705.01 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था। यह भी देखा गया कि निर्धारण अधिकारियों ने दो निर्धारिती कंपनियों में निर्धारण पूर्ण करते समय गणना संबंधी गलतियाँ की जिसमें कुल ₹3.36 करोड़ का कर प्रभाव शामिल है।
- प्रणालीगत मुद्दे देखे गए थे, जहां उनके लाभ और हानि खाते में उनके द्वारा दावा किए गए आबकरी शुल्क को संबंधित निर्धारण अभिलेखों के साथ मिलान किए बिना निर्धारण कार्यवाही के दौरान आयकर विभाग द्वारा अनुमित दी गई थी। एक और प्रणालीगत मुद्दा देखा गया, जिसमें बड़ी मात्रा में बट्टा, छूट आदि की खाते की पुस्तकों में ब्यय के रूप में अनुमित दी गई थी यद्यपि, ऐसे दावे के कारणों/वास्तविकता को मामले के अभिलेखों में रखा नहीं पाया गया जोकि आयकर अधिनियम की धारा 37 के अन्तर्गत निर्धारण अधिकारी को प्रदत्त सत्यापन की शक्तियों का पालन न करने का संकेत देता है।

कुल 11 लेखापरीक्षा अनुशंसाओं में से कुछ प्रमुख अनुशंसाएं नीचे दिए गए हैं: लेखापरीक्षा अनुशंसा करता है कि:

- आयकर विभाग फॉर्म 3सीडी, लाभ-हानि खाता विवरण, राज्य आबकारी अभिलेखों आदि जैसे निर्धारण अभिलेखों के मिलान के लिए मौजूदा तंत्र को मजबूत कर सकता है, विशेष रूप से फेसलेस निर्धारण व्यवस्था की शुरुआत के बाद जिसमें क्षेत्राधिकार-मुक्त निर्धारण किया जा रहा है, तािक आसवनी एवं यवासवनी क्षेत्र का निर्धारण पूरा करते समय निर्धारिती की सही आय का पता लगाने के लिए लेखा पुस्तकों का गंभीर और सही ढंग से विश्लेषण करके मौजूदा अंतर को भरा जा सके।
- आईटीआर में दर्शाई गयी बिक्री की तुलना में सम्बंधित राज्य आबकारी प्राधिकारियों को घोषित की गयी बिक्री को ध्यान में रखते हुए सीबीडीटी आसवनी और यवासवनी व्यवसाय में लगे निर्धारितियों के संबंध में कंप्यूटर एडेड स्क्रूटनी सेलेक्शन (सीएएसएस) के अन्तर्गत सीमित और साथ ही सम्पूर्ण जाँच के लिए मामलों की पहचान करने हेतु जोखिम मापदंडों के संयोजन को लागू करने पर विचार कर सकता है।

- आसवनी एवं यवासवनी क्षेत्र के लिए समरी निर्धारण के समय, निर्धारिती के आयकर रिटर्न के साथ संलग्न दस्तावेजों की सूचनाएं अर्थात लाभ और हानि खातों में दिए गए बिक्री, शुल्क इत्यादि को लेखाकार द्वारा फॉर्म उसीडी में प्रमाणित आंकड़ों के साथ मिलान करना चाहिए। सूचना सीपीसी (टीडीएस) के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुरूप भी होनी चाहिए।
- सीबीडीटी त्रुटि मुक्त निर्धारण सुनिश्चित करने के लिए आसवनी और यवासवनी के व्यवसाय में लगी इकाइयों के निर्धारण के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने पर विचार कर सकता है। एसओपी में निर्धारण अधिकारी (ओं) के लिए निम्न निर्देश शामिल हो सकते हैं:
 - सत्यापन के लिए ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी से आवश्यक जानकारी साझा करना और माँगना। निर्धारण अधिकारी द्वारा उस आशय का प्रमाण पत्र दिया जा सकता है।
 - निर्धारितियों द्वारा दी गई जानकारी की सत्यता और शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित राज्य सरकार के प्राधिकारियों से आबकारी शुल्क, वैट और अन्य करों/शुल्कों जैसी जानकारी माँगने के लिए आईटी अधिनियम की धारा 133(6) में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग किया जाना।
 - यह सुनिश्चित करना कि व्यवसाय गतिविधि कोड उनके आयकर विवरणी में अनिवार्य रूप से और सही ढंग से भरे गए हैं और व्यवसाय कोड को गलत भरने के लिए जुर्माना लगाने और निर्धारणों को फिर से खोलने हेत् संभावना की जाँच।
 - टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में तैयार उत्पादों के मात्रात्मक प्रकटीकरण में विसंगतियों वाले मामलों को
 उच्च प्राथमिकता देना।
- सीबीडीटी आसवनी और यवासवनी क्षेत्र से सम्बंधित निर्धारण के दौरान निर्धारिती(ओं) द्वारा घोषित आबकारी शुल्क, वैट और अन्य कर/शुल्कों की जांच और प्रतिसत्यापन के लिए आबकारी शुल्क, वैट और अन्य करों/शुल्कों के विवरणों को शामिल करते हुए जानकारियों को प्रतिपक्षों के निर्धारण अधिकारियों के साथ अंतर्विभागीय साझाकरण के वर्तमान तंत्र को मजबूत कर सकता है।
- सीबीडीटी यह जाँच कर सकता है कि क्या पायी गई त्रुटियाँ भूल या जान बूझकर की गयी त्रुटियों के उदाहरण हैं, और यदि ये जान बूझकर की गयी त्रुटियां हों, तो उन्हें जहां आसवनी और यवासवनी के व्यवसाय में लगे कंपनियों की जांच के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा स्पष्ट गलितयां बताई गयी हैं, कानून के अनुसार जिम्मेदारी तय करने सहित आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करनी चाहिए।